न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 171/2021

प्रार्थीगणः–

1. कालुराम पुत्र श्री हीराराम
2. कोजाराम पुत्र श्री हीराराम

जाति दर्जी, निवासी लक्ष्मीनारायणनगर जसनाथबाड़ी
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।
अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 12/3/22

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 2.7438 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.0567 गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 447/1 रकबा 8.4013 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447/3 रकबा 0.3966 हैक्टेयर मौजा ग्राम लक्ष्मीनारायणनगर पटवार हल्का पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सोनाराम पुत्र हीराराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुखाराम पुत्र हीराराम दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम कालुराम पुत्र हीराराम व प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक नाम कोजाराम पुत्र हीराराम हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश सोनाराम व सुखाराम दर्ज कर दिये जो गलत हैं। प्रार्थीगण के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड बैंक खाता डायरी

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

इत्यादि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालुराम पुत्र हीराराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम कोजाराम पुत्र हीराराम दर्ज है तथा प्रार्थीगण के नाम सम्बन्ध में सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी साथ में संलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिस वजह से प्रार्थीगण की भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में सुधारा जाता है तो अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 2.7438 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.0567 गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 447/1 रकबा 8.4013 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447/3 रकबा 0.3966 हैक्टेयर मौजा ग्राम लक्ष्मीनारायणनगर पटवार हल्का पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सोनाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर कालुराम पुत्र हीराराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुखाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर कोजाराम पुत्र हीराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अप्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सोनाराम पुत्र हीराराम के स्थान कालुराम पुत्र हीराराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुखाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर कोजाराम पुत्र हीराराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की। अप्रार्थी का जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम कालुराम पुत्र हीराराम व प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम कोजाराम पुत्र हीराराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 2.7438 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.0567 गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 447/1 रकबा 8.4013 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447/3 रकबा 0.3966 हैक्टेयर मौजा ग्राम लक्ष्मीनारायणनगर पटवार हल्का पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सोनाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर कालुराम पुत्र हीराराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुखाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर कोजाराम पुत्र हीराराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner